भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1407** जिसका उत्तर
शुक्रवार, **10 फरवरी**, 2023/21 माघ, 1944 (शक) को दिया जाना है

मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क

†1407. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट :
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे :
श्री चंद्र शेखर साहू :
श्री राहुल रमेश शेवाले :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतमाला के चरण-I और चरण-II के अंतर्गत 'पत्तन शहरों' में महाराष्ट्र और ओडिशा सहित राज्य-वार कितने मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एलएमएलपी) स्थापित किए जा रहे हैं;
(ख) उक्त एमएमएलपी की स्थापना के लिए राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र और ओडिशा में अब तक कितनी धनराशि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है;
(ग) उक्त एमएमएलपी मौजूदा पत्तनों को क्या-क्या सेवाएं प्रदान करेंगे;
(घ) क्या इन एमएमएलपी को संचालित करने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति का उपयोग किए जाने का विचार है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक किन-किन क्रियाविधियों को अंतिम रूप दिया गया है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) : भारतमाला चरण-1 के अंतर्गत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा "पत्तन शहर" नामत: कोचिन (केरल); चेन्नै (तमिलनाडु); विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश); मुंबई (महाराष्ट्र); कोलकाता (पश्चिम बंगाल) और कंडला (गुजरात) में छ: मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित किए जा रहे हैं।

एमएमएलपी के विकास के लिए कोई द्वितीय चरण नहीं है।

(ख) : चेन्नै एमएमएलपी को 1424 करोड़ रु. की कुल पूंजीगत लागत के साथ अनुमोदित किया गया है जिसमें 783 करोड़ रु. का पीपीपी घटक तथा भूमि अधिग्रहण लागत सहित 641 करोड़ रु. का सरकारी निवेश शामिल है। सरकारी निवेश के 641 करोड़ रु. में से, चेन्नै पत्तन द्वारा 167 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम

(टीआईडीसीओ) को भूमि अधिग्रहण के लिए 57.89 करोड़ रु. हस्तांतरित किए गए हैं। शेष पांच एमएमएलपी के लिए, कोई निधि निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) : ये एमएमएलपी, कार्गो का संग्रहण करने और उनको हटाने में सक्षम होंगी तथा सीमा शुल्क सीमित क्षेत्र के साथ-साथ सड़क से रेलवे तक और इसके विपरित, इंटरमॉडल शिफ्ट को सक्षम बनाऐंगे। इसके अलावा, एमएमएलपी गोदाम संबंधी सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज और मूल्य वर्धित सेवाएं आदि प्रदान करेगा।

(घ) और (ङ) : भारतमाला परियोजना के अंतर्गत, एमएमएलपी का विकास पीपीपी माध्यम से किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एमएमएलपी के विकास के लिए दिनांक 10.07.2020 को कार्यालय ज्ञापन संख्या- एच-39011/09/2020-पीएंडपी (लॉग) जारी किया है।

*****